2022/344

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री नटवरसिंह पुत्र श्री मानसिंह जी बीका
निवासी गुलाबगंज तहसील रेवदर
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं 64 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15.09.2022	अपीलाट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मागी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलाट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलाट द्वारा अपनी अपील मे निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनाक 20.07.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पचायत गुलाबगज, मालगाव मे गोचर भूमि, बिलानाम भूमि, तालाब व नाडी की भूमि, आबादी व पडत भूमि, पी.डब्ल्यू.डी की भूमि व सरकारी सम्पत्ति पर किए गए अतिक्रमण व निर्माण के सम्बन्ध मे बिन्दुवार सूचनाओ की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाय जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि मे उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलाट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलाट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनाक 20.07.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम पचायत गुलाबगज, मालगाव मे गोचर भूमि, बिलानाम भूमि, तालाब व नाडी की भूमि, आबादी व पडत भूमि, पी.डब्ल्यू.डी की भूमि व सरकारी सम्पत्ति पर किए गए अतिक्रमण व निर्माण के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचनाओं की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 951 दिनांक 27.07.2022 के द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन तहसील कार्यालय रेवदर को स्थानान्तरित कर दिया था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रेवदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देने [illegible] तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलाट को सूचित करें। निर्णय [illegible] गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबर से कम हो। Bello (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:30:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner